## मव्यग्रदेशा विधान सभा

ध्रनुर्सूचित धाति तथा ध्रनुसूरित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति

प्रकिया नियम ( प्रान्तरिक कार्य म्यालाती)<br>COMMITTEE ON THE WELFARE OF<br>SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES<br>RULES OF PROCEDURE<br>(INTERNAL WORKING)

मध्यप्रदेश विघान सभा सचिवालय, भोपाल
जून, १ع७ぬ
madiya pradesh vidilan sabha secretariat, bhopal .JUNE, 1975

## मध्यत्रदेशा विघान सभा

ग्रनुर्सूचित जाति तथा श्रनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधो सर्मित

# प्रक्रिया नियम ( ग्रान्तरिक कार्य स्रयाली) 

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

## RULES OF PROCEDURE

(INTERNAL WORKING)

मघ्यप्रद्रेश विधान सभा राचिवालय, भोपाल
जून, १र७々
madhya pradesh vidhan sabha secretarlat, bhopal JUNE, 1975

## प्राइत्रया

भ्रनुरूनित जानि तथा ग्रनुस्सचित जनजारि के कल्याण संवंधी समिति की श्रान्तरिक कार्यंत्रणाली के प्रत्रिस्ता संबंधी नियम सर्मर्त ने दिनांक ७ मई, ? QQ4 को हैई बैठक में ग्रीत किये थे तथा इन निवमों का ग्रध्यक्ष दारा मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम $? c \succeq$ के अ्रधीन दिनांक १७ जून, १Q७४ को श्रनुमोदन किया गया ।
२. मध्यप्रदेरा निधान सभा नियमावली के इस समिति से सन्वनित नियम भी इस तुर्निका के अन्त में टिगे पर्रे हैं।


## PREFACE

The Rules of Procedure of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Internal working) were adopted by the Committee on the 7th May 1975. These Rules were approved by the Speaker on the 17th June, 1975, under Rule 198 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Rules.

Relevant Rules of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Rules relating to this Committee are also given at the end of this bouklet.

## Bhopal :

The 20tlı August, 1975.

KAILASH KISHORE GUPTA
Secretary,
Madhya Pradesh Vidhan Sabha.

## अनुसुर्सित गाति तथा ग्रनुसुपित जनउाति के फल्याण संबंधो सनिति के प्र्र्भक्रया संघंधी नियम

## (ग्रान्तरिक काम्यंगणलो)

जाञ 产 fिए fिपय का वयन.
१. (१) सर्मिति समय-समय पर जांच के लिए ऐसे विषयों का चयन करेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझ्े ग्रौर जो सामिति के निर्देश पदों के ग्रंतग्गत ग्राते हों ( देशिए पर्रिशिष्ट)।
(२) विषयों की जांच के लिये कार्य का कार्यकम सर्मित द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा ।

अ्रध्वयन दलों ? (१) विभिन्न विषयों का विस्तूतं ग्रध्ययन तथा उनकी जांच को निर्युष्वत. करने के लिए समिति समय-समय पर एकं ग्रयन्रा ग्रधिक ग्रध्ययन दल

नियुक्त कर सकेगी।
(२) प्रध्ययन दलों के कृत्य ग्रन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार होंगे:-
(एक) सरकार / विभाग/उपनम ( जिसमें संविहित तथा ग्र्धर्नरकारी निकाय सर्म्मिलित हैं) से प्राप्त ग्रथवा उनके द्वारा भेजी गयी श्रथवा श्रन्य रूप में सर्मिति को भेज़ी गयी सामग्री का गहुन ग्रध्ययन करना।
(दो) सभार्पति की मंजरी के परचात् सरकार / विभाग/ उपर्तम ( जिसमें संविहित तथा श्रर्धन्सरकारी निकाय सम्मिलित हैं) भेजने के लिए प्रइनावली तैयार करना।
(तीन) सरकार / विभाग/ उपक् : ( जिसमें संविहित तथा अं्रर्ध-ररकारी निकाय सम्मिलित हैं) से श्ञाप्त उत्तरों की जांच करना तथा उन पर विचार करना।
(चार) सर्मित ग्रथवा सभार्पति द्वारा सींपे गए किसी भी भामले का ग्रध्ययन करना तथा उस पर प्रतिवेदन देता।
(पांच) श्रध्ययन संबंधी दोरों पर जाना तथा उनके ग्रध्ययन टिप्पष तैयार करना।

## RULES OF PROCEDURE OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

 (Internal working)1. (1) The Committee shall select from time to time for Selection of subbjects examination such subjects as they may deem fit and as fall with. for examination. $i_{n}$ the scope of their terms of reference (see Appendix).
(2) The programme of work for the examination of subjects may be determined by the Committee from time to time.
2. (1) The Committee may, from time to time appoint one Appointment of or more study groups for carrying out detailed study and examination of various subjects.
(2) The functions of the study groups shall inter alia be as follows :-
(i) To study intensively the material obtained from or supplied by the Government;'Department/Cudertaking (including Statutory and Semi-Government Bodies) or referred to the Committee.
(ii) To prepare the questionnaire to be issued, after the approval of the Chairman, to the Government/ Department/undertaking (including statutory and Semi-Government Bodies).
(iii) To examine and consider replies received from Govern. ment/Department/undertaking (including statutory and Semi-Government Bodies).
(ii) To study and report on any matter referred to by the Committee or the Chairman.
(5) To undertake study tours and prepare study notes thereof.
(छ:) वे मुष्य वातें बताना जिनके श्राबार पर प्रतिवेदन तैयार किए जा सके।
(सात) संपूर्ण सर्माति को परिचालित किए जाने से पहले प्राल्प प्रतिवेदन पर चर्चा करना।

बैठक त्रा मूचना
3. जन्र सरिमित की किसी बैटक की तिथि ग्रौर उसका समय सभार्वति द्वारा निर्धारित कर दिया जाए तो जसकी सूचना सर्मिति के सदस्यों को परिचर्ालित की जाएगी।

सर्माति को सानक्री का दिवा जाना.
४. सर्मित द्वारा जिन विषयों की जांच की जाती है जनसे सम्बद्ध विभाग/जपऋम (जिनमें संविद्टित तथा ग्र्थ-सरका ती निकाय सम्मिलित हैं) से सजिवालय लिखित स्प में कहेगा कि आ्रावश्यक सामग्री के पच्चोस सेट समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए भेजे जाएं ।

सदस्यों बां मा अण्ण
र. सर्चिताजय में प्राप्ति के परचात् जितना शीघ संभव हो सके का परिचर्चालन किया सामत्री सदस्यों को परिचालित की जाएगी
जाना.
मर्मित को भंजे ६ समिति को भेजे गए कागजात गोपनीय समझे जायोंगे औौर गए काजजान का उनकी ववषय वस्तु किसी को मी पकट नहीं की जायगी भौर न ही जस गोरनोय गमझना. त्रिषय पर सभा में प्रतिबेदन के प्रस्तुत किए जाने से पहले किसी भी समय समिति के बाहर उस जानकारी का कोई उल्लेख किया जाएगा ।

सदयों द्वारा प्रश्न. १. (१) कागजात का अ्रध्ययन करने के पइ्वात् सदस्य ऐसे प्रशन तैयार कर सकते है जिन पर वे ग्रौर जानकारी प्राप्त करना चाहते हों।
(२) सभापति द्वारा निर्धारित तारीक्न त़क सदस्य इन प्रइनों को सचिवालय को भेजेंग ।
5. (१) सदस्यों द्वारा सुझाए गए प्रइन तथा बातें ग्रौर जिस

विभाग के लिए प्रश्नाबली. त्विषय की जांच की जा रही है उससे संगत ग्रन्य बातों को समेकित करके प्रश्नावली का रूप दिया जाएगा।
(२) प्रश्नावली तथा सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर, यदि कोई हों, अप्रव्वसन दल/ सर्मिति द्वारा विचार किया जाएगा। सभार्पति द्वारा उसके ग्रनुमोदन के परचात् वह विभाग को मेजी जाएगी जो कि सभापति द्वारा निर्ध्गित तारीख तक जसके उत्तर की २े प्रतियां सचिवालय को戅开।
(3) सभार्पत द्वारा भ्रनुमोदित रूप में प्रश्नाबली की प्रतियां सर्मित के सदस्यों को भेजी जाएंगों।
(vi) To indicate the broad points on which reports may be prepared.
(ii) To discuss the diaft report before circulation to the wiole Committee.
3. When the date and time of a sitting of the Committee Notice of sitting. have been fixed by the Chairman, notice thereof shall be circulated
to the members of the Committee.
4. The Departmentjundertaking (including statutory and Materiai to le fur-Semi-Government Bolies) concerned, with the subjects to be nished to the Semi-cor Committie. examined by the Comnitiee, shall be as'ed in writing by the Secretariat to furnish twenty five sets of the necessary material For the use of the members.
5. The material shall be circulated to the members as soon Circulation of as possible after its receipt in the Secretariat. material to nember.
6. The papers circulated to the Committee shall be treated Papers circulated as confidential and the contents thereof shall not be divulged to the Committee to treat as W any one nor shall any reference be made to such information conlidential. outside the Com nittee at any time before the report on the subject has been presented to the House.
7. (1) The members may, after going through the papers Questions by memframe questions on which further information is required by them. Deis.
(2) These question shall be sent by members to the secretariat by a due date to be specified by the Chairman.
8. (1) The questions and points suggested by members Questionnaire for together with other relevant points concerning the subject under Que dept. examination, shall be consolidated in the form of a question. naire.
(2) The questionaires and the suggestions received from the memeers, if any, siall be considered by the Study Group/ Committee. After it approval by the Chairman, it shall be sent to the Deparment which shall furnish to the Secretariat tweaty-five sets of the replies thereto by a date to be specified by the Chairman.
(3) Copics of the questionnaire, as approved by the Chairman, shail be circulated to the members of the Committee.
(४) विभाग से प्रा्त प्रश्नावली के ड्त्रर हन नियमों के नियम पांच में निर्धारित केंग में सदस्यों दो भेजे जाएंगे।
(x) जन किसी विणय पर म्रौर स्पट्टीकरण की ग्रावश्यकता हो ग्रभवन परितिरिस जानकारी खर्भित हो तो वह है नियम के उपनियम (२) में निर्धर्रित द्वंग होने से मांगी जा सकेगी।

मंन्दिख जांच के ศ行 वानें.

मोंतिक साश्र्न ओंने की पर्रोमा
8. (?) साक्षियों की मौखिक जांच के लिए सचिचालय बातों ग्रोर/ ग्रभन्न प्रन्नों की एक मूची सभाजति के ग्रनुमोदन के लिये तैयार करंगा जियमें छस संबंध में सदर्यों से प्रात तुझुश़ भी समिर्मिलित किये जायेंगे।
(२) बातों श्रयना प्रश्नों की ग्रत्रिम प्रतियां सरिमित के सदस्यों को भेजो जा सकेंगी।
9०. पहले सभापति साक्षी से कोई प्रश्न पूख सकेगा यौर तन्पश्चात् एक-एक करके श्रन्य सदस्यों को साक्षी से प्रश्न पूबने के लिये कह अंक्रा। यदि कोई सदस्य प्रहन पछन्ता चाहेगा तो वह् सभार्पति की अन्तुम्मति से ऐसा कर सकेगा। यदि कोई साक्षी किती बात की तडकाल ही ध्वांख्या करने की स्थिति में नहीं हैं तो सभार्पति जसे ग्रनुर्मति दे सक्केगा कि दह् उसके पर्चात् जितना शीद्रसंभव हो सके सीचनवालय को लिसित रूप में उत्तर दे।
99. जिन बातों पर सरिति को ग्रैर ग्रागे जानकारी की

बाते जित पर घौर बुना आयेंधा है. श्राज्यक्ता है वे सचिकालय द्वारा लिस्त ली जायेंगे श्रोर सभार्पति के निद्नेशाधीन इस मामले में ऐसी कार्येचही की जागेगे जो प्रावस्यक समझी जाये।

गरिंयों को पुनः श२. समिति किसी साक्षी को किसी विषय पर जो कि समिति के बुलाना
१3. अ्रझ्जयन दल समिति को अभने दौरे संबंधी ऐंसे टिप्पण,

प्रशयन सन दारा क्रिपणों नया सानकी स्रध्ययन प्रतिवेदन तथा ग्रन्य प्रतिवेदन देगा जिन्हे कि वे त्रावस्यक समझंगे। का समिति को. दिया
जाना.
१४. (१) मध्यद्यदेश निधान सभा की प्रकिया तथा कायचताजेगों का वेश संचालन संवंधी नियमों के नियन $? 80$ के उएंंों के श्रनुकार समिति काता जना.





 हित के किए होगा।
(4) The replies received to the questionnaire from the Department, shall be circulated to the members in the manner prescribed in rule 5 of these rules.
(5) Where further clarification is required on any point or additional information is desired, it may be called for in the manner prescribed in sub-rule (2) of these rule.
9. (1) The Secretariat shall prepare a list of points and/or Points for oral questions for oral examination of the witnesses incorporating therein any suggestions that may be received from members in this regard, for approval by the Chairman.
(2) Advance copies of the list of points or questions may be circulated to members of the Committee.
10. The Chairman may first ask any question and thereafter Procedure $\begin{gathered}\text { when } \\ \text { oral }\end{gathered}$ he may call other members, one by one, to ask questions of a evidence. witness. If a member desires to put a question, he shall do so with the permission of the Chairman. In case a witness is not in a position to elucidate any point immediately, he may be permitted by the Chairman to furnish a reply to the Secretariat in writing, as soon as may be, thereafter.
11. The Secretariat shall note down the points on which Points on which further information is required by the Committee and under the is required. directions of the Chairman take such action in the matter as may be necessary.
12. The Committee may recall any witness to give further Recall of winesses evidence on any point which is under consideration of the Committee.
13. The Study Group may make available to the Committee Supply of notes and uch of the tour notes, study reports and other reports as they may Group to by commiconsider necessary.
14. (1) The Committee may send for persons, papers and Production of docurecords required in connection with the examination of a subject ments. in terms of rule 190 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Madhya Pradesh Vidhan Sabha. In the case of secret documents required by the Committee, such papers may be made available by Government'Department confidentially to the Chairman in the first instance unless it is certified hy the Minister concerned that the document could not be mate ar ailable on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State,
(२) गुग्न दस्तावेजों को सर्मित के सदस्यों को उपलव्ध करने से पहने सभापत्ति सरकार/विभाग की इच्च्रा पर उचित विचार करेगा। सरकार / विभाग तथा सभाप्पति के बीच यदि कोई मतभेद होगा तो वह् ग्रापसी वातचीत हारा हल किया जा सकेगा ग्रौर यदि कोई संतोपजनक समझ्जैता न हो पाये तो वह मामला ग्रच्यक्ष महोदय के समक्ष उनके निर्णय के लिये रखा जायेगा ।

कार्य विवरण से भब्दों का निर्राला जाना.

कार्वाह़ का जन्द्र: वृतान्त.

१\%. यदि सभापति की यह राय हो कि शन्द्रः: कार्यवाही़ में ऐसे शब्द प्रयुक्त किंये गये हैं जो ग्ररिष्ट, ग्रसंसदीय या ग्रभद्र हों तो वह स्वविवेक से ग्रादेश दे सकेगा कि उन शब्दों को सर्मित की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।
१६. (१) सरिमि को कार्यवाही का शब्दरःः वृतान्त केवल सर्मित के ही उययोग के लिये होगा श्रौर केवल वे ही कागजात प्रकाशित किये जा सकेंगे जो कि सभा पटल पर रसे जा चुके हों।
(२) जव समिति किसी साक्ष्य को पूर्ण रूप से प्रथवा उसके किसी ग्रंग को प्रकाशित करने का निर्ण्य करे तो वह एक पृथक खंड के रूप में प्रकाशित किया जायेगा श्रौर वह उस विषय से संबंधित समिमित के प्रतिवेदन का एक म्र्रंग होगा।

बेउठों का कार्यवह्ही सारांश.

कायंबही, सारांश्ञ परिवालन.

कांयंहद्ही-सारांशों का सभा-पटल पर रखा जाना.
१७. सचिवालय, सर्मिति/्रध्ययन दल की बैठक का कार्येवाहीसारांश सभार्पति/संयोजक ग्रथवा सदस्य की जिसने कि बैंटक की ग्रध्यक्षता की हो, जैसी कि स्थिति हो, ग्रनुमोदन के लिये तैयार करेगा।
१5. समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवाह्टी- सारांश सर्मिति के सदस्यों को भेजा जायेगा। " 84
१8. समिति की बैटकों के कार्यावही- सारांश उस प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत किये जाने के परचात् जिससे कि वे संबंधित हों यथासंभव शीव सभा पटल पर रखे जायेंगे । तैयार करना.

श्रात्य प्रतिवेदन २०. (१) जब किसी विषय की जांच परी हो चकी हो सम्बद्ध ग्रध्ययन दल एक बैठक में श्रपने निष्कर्ष तथा सिफारिसों तैयार करेगा, जिसमें समिति के श्रन्य सदस्य भी उपस्थित हो सकेगे।
(२) ग्रध्ययन दत के निषकर्षों ग्रौर सिफारिसों के श्राघार पर प्रतिवेदेन का एक प्राहूप तैयार किया जावेगा श्रौर जव तक कि श्रन्यया निदेशे न दिया गया हो, ग्रध्ययन दल के सदस्यों के विचारार्थ उनको भेजा जायेगा।
(३) सभापति द्वारा श्रनुमोदित किये जाने के परचात् उसरोक्त उन्गययम (२) के घ्यंतर्गत तैयार किया गया प्राश्य प्रतिवेदन समिति के सदस्यों को भेजा जायेगा ग्रैर तर उस पर सरिमित की एक बैंटक में विचाए किखा जायेगा। उनस्थित सदस्यों में में ग्रधिकांग दारा निये गये निर्णाय सरिति के प्रतिवेदन में दिये जायेंगे।
(2) The Chairman may give due consideration to the wishes of the Government; $D$ partment before making any secret documents avallable to the members of the Committee. Any differenca of opinion betwen the Gorernment/Department and the Chairman may be settle 4 b; discussion and if no satisfactory agreement is arrived at, the matter shall, then, be placed before the Speaker for his decision.
15. If the Chairman is of the opinion that the wor.'s used Expunction of words in the verbation proceedings are indecent, unparliamentary or proceedings, ungentlemanly, he may at his discretion issue an order to expunge hose words from the proceedings of the Committee.
16. (1) The verbatim proceedings shall be for the use of Verbatim proceedthe Committee only and only such papers as have been laid on ings. the Table of the Honse will be made public.
(2) Where the Committee decide to print the whole or any part of the evidene, the same shall be printed in the form of separate Volume and sinall form part of the Report of the Committee dealing with the subject.
17. The Secretariat shall draft minutes of the sitting of the Minutes of the Committee/Study Group for approval of Chairman/Convenor or sitings. the member who presided at the sitting, as the case may be.
18. The Minutes of each sitting of the Committee shall be Circulation of circulated to the members of the Committee. Minutes.
19. The minutea of the sitting of the Committee shall be Laying of Minutes laid on the Table of the House as soon as possible after the presen- on the Table. tation of the report to which they relate.
20. (1) When the examination of any subject has been comp- $\begin{aligned} & \text { Preparation of draft } \\ & \text { report. }\end{aligned}$ leted the concerned Study Group shall frame its conclusions and recommendations at a sitting which may be attended by other members of the Committee.
(2) On the basis of the conclusions and recommendations of the Study Group, a draft of the report shall be prepared and shall, unless otherwise directed, be circulated to the members of the Study Group for their consideration.
(3) The draft repart as prepared under sub-rule (2) above shall be circut tica to the membors of the Committee after it has been approve by the Conirman and then considered at a sitting of the Connites. The repart of the Committee shall embody the decisions of the majority of the members present.
(४) सर्मिति के प्रतिवेदनों पर कोई विर्मति टिप्पण नहीं होगा।
(x) यदि किसी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसे ग़र्ति करने के लिये सर्मिति की बैठक बलाना संभव:प्रथवा सुविघाजनक न तो तो सभाप्पति, सर्मित की ग्रनुर्भतिसेसे, सदस्यों से लिखित र्प में प्राप्त सुझावों ग्रौर टिप्पणियों के श्राषार पर प्रतिवेदन को ग्रंतिम हैप दे सकेगा ।
२१. प्रतिवेदन सभा में सामान्यतः सभापति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा परत्तु यदि यह ऐसा करने में श्रसमर्य है तो समिति के सदस्यों में से कोई एक, जिसे सभार्पत द्वारा उसकी ग्रोर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने क। श्रधिकार दिया गया हो, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
२२. सभा में प्रतिवेदन के पइचात् यथासंभव शीघ उसकी प्रतियां निधान सभा के सदस्यों तथा ग्रन्य संबंधित व्यक्तियों, प्राधिकारियों श्राद्व को उपलब्ध की जा सकेंगी।
२१. (१) समिति के प्रतिवेदनों में दौ गई सिफारिशों पर सरकार / विभाग / उप₹्रम ( जिसमें संविहित तथा ग्रर्षशासकीय निकाय सम्म्मिलित है) द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विनरण उपयुक्त टिपर्पणियों के साह्त ग्रध्ययन दल के समक्ष जांच के लिये रखा जायेगा श्रोर किर वह ग्रध्ययन दल की सिफारिशों सहित सभापति के समक्ष रखा जायेगा।
(२) कोई बात, जिस पर कि ग्रघ्ययन दल ग्रथवा सभार्पति की राग में सर्मिति द्वारा विचार किये जाने की ग्रावश्यकता है विशोष रूप से समिति को सँपी जायेगी।
(३) ग्रध्ययन दल द्वारा की गई टिप्पणियों ग्रौर सभार्पतित द्वारा किये गये सझावों के ग्राधार पर एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा प्रारूप प्रतिवेदन पर फिर ग्रघ्ययन दल द्वारा विचार किया जायेगा ग्रौर सभापति द्वारा श्रनुमोदित किये जाने के पर्वात् वह्ह समिति के सदस्यों को भेजा जायेगा ।

म्मात के सदस्यों श्रतिरितन ग्रन्य जितदयों की उसकी 57立में उपविaf̃.
२. विघान सभा का कोई सदस्य जो कि सर्मिति का सदस्य नहीं है ग्रथदा किसी ग्रन्य राज्य विघान मंडल का दोई सदस्य श्रयवा किसी श्रन्य
 कोई साष्थ ले रही हो रार्मित की बैंक में उपन्थित हो सकता है पस्तु उस समय नहीं जब कि सर्मित में किसी वात पर विचार किम्शं किया जा रहा हो। तथाधि, ऐसा सदस्य म्रयवा श्रीकारी किसी भी हूप में सरमिति की कारंवाहो में भाग नहीं लेगा प्रोर न ही सरिमित के सदल्यों के बीच बेठागा।

धगरों मे पर्रिग
२2. इन नियमों में कोई सम्बर्वन प्रयवा परिवतंन समय-पमय
 fन्नित्वकिष जान: किया जा सकेगा।
(4) There shall be no minute of dissent to the ${ }^{*}$ Reports of - Committee.
(5) In case it is not possible or convenient to hold a sitting the Committee for the consideration and adoption of a draft yort, the Chairman may, with the permission of the Committee, alise such report on the bazis of the suggestions and commen seived in writing from members.
21. The report shall ordinarily, be presented to the House r the Chairman, but if he is unable to do so, one of the Members the Committee, who may be authorised by him, may present e report on his behalf.
22. As soon as possible after presentation of the report to e House, copies there of shall be made available to the members the Vidhan Sabha and other persons, authorities, etc. uncerned.
23. (1) The statement showing the action taken by Govern:nt/Department/undertaking (which includes Stututory Id the Semi-Government bodieson) the recommendations ontained in the report of the Committee shall be put up with Litable comments to the Study Group for examination and then gether with the recommendations of the Study Group placed efore the Chairman.
(2) Any point, which in the opinion of the Study Group $r$ the Chairman requires consideration by the Committee shall © specifically referred to the Committee.
(3) On the basis of the comments made by the Study Group nd the suggestion of the Chairman, a draft report shall be preared. The draft report shall then be considered by the Study iroup and after it has been approved by the Chairman, it shall e circulated to the Members of the Committee.
24. A member of Vidhan Sabl.a, who is not a member of ue Committee, or a member of any other State Legislature, or an Jficer of any; other State Legislature may, with the permission of he Chairman attend a sitting of the Committee, when evidence

Attendance of persons other than members of the Committee at its sittings. $s$ being taken by them, but not when the Committee are cliberating. Such member or Officer shall not, however, take art in any manner in the proceedings of the Committee nor sit n the body of the Committee.
25. Any addition or alteration to these rules from time to Incorporation of ime shall be incorporated in the rules after due permission by points of procedure he Committee and approval by the Spe ikar.

$$
\begin{gathered}
\xi \\
\text { परिशिष्ट }
\end{gathered}
$$

[fियम १ का उपनियम (१) ऐंखिये]
मध्यद्रदे या विशान सभा नियमाबली के नियम २३४-क के श्रनुसार सर्मित के निम्नलिखित कार्य होंगे:-
(₹) संविधान के ग्रनुच्छेद्ध ३३ः के खंड (२) के घंतर्गंत प्रनुसूचित जातियों तथा अ्भनुर्साचित जनजातियों के आ्रायुक्त द्वारा प्रस्तृत प्रतिवेदनों पर末जहां तक कि उनका संबंध मध्यद्रकेश्र राज्य से हो, पर विचार करना अर सभा को यह प्रतिजेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन तिषयों के बारे में राज्य सरकार को क्या कार्थवाही करना चाहिये।
(ख) सर्मित द्वारा प्रस्तावित उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में सभा को प्रतिवेदन देना।
(ग) अ्रनुन्छ्दे ₹३२ के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाग्रों ग्रोर पदों (जिसमें सरफारी क्षेत्र के उपक्मों, संविहित तथा ग्रर्षशानकीय निकायों में नियुक्तियां सम्मिलित हैं) में ग्रनसूचित जातियों तथा श्रनसचित जनजातियों को उँचंत प्रतिनिघित्व दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा फ़िये गये उपायों की जांच करना ।
(घ) राज्य में ग्रनुस्सिंच जातियों तथा ग्रनुसूषित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यं कमों के चलाये जाने के बारे में सभा को प्रतिवेदन देना।
(ङ) राज्य सरकार के क्षेप्राधिकार के ग्रन्तर्गत ग्राने वाली अ्रनुरूचित जातियों तथा भ्रनुसिचितरूजनजातियों के कल्याण संबंधी समस्त मामलों पर सामान्य रूप से विचार करना व उन पर सभा में प्रतिवेदन देना।
(च) एसे मामलों की जांच करना जिन्दें सर्मिति उपयुक्त समझ्र श्रथवा जो सभा द्वारा श्रभवा ग्रध्यक्ष द्वारा उसे विशिष्ट रूप से संप्रे जायें।

## APPENDIX

> [See Sub rule-(1) of tulc 1]

Under rule $23 t-1$ of the Madhya Pradesid. V, uhan Sabha Ruls, the functions the committee shall be as follows:-
(a) to consider the reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 338 (2) of the Constitution so far as they relate to the State of Madhya Pradesh and to report to the House as to the measures that should be taken by the State Government in respect of the matters within the purview of the State Government;
(b) to report on the action taken by the State Government on the measure proposed by the Committee;
(c) to examine the measures taken by the State Government to secure due representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and poits under the control of the State Government (including the appointments in the public sector undertakings, Statutory and Semi-Goveramant Bodiss) having regard to provisions of article 335 ;
(d) to report to the House on the working of the welfare programmes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State;
(e) to consider generally and to report to the House or all matters concernning the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which fall within the purview of the State Government.
$(f)$ to examine such matters as may deem fit to the Committee or are speci. fically referred to it by the House or the Speaker.

मधग्रदेनेश विश्रान सभा के प्रक्रिया तथा कर्य-मंदालन संबंधी

(द) श्रनुग्रूंत जानियों तथा ग्रनूस्सित जान जातियों के फल्या पंबंबी सूर्मित
२३४-क. ग्रनुरूचित जांति तथा ग्रनुर्भुचित जन जाति के कल्याण् पं वंखी सरिति के हल. -ग्रनुन्चित जानित तंया ग्रनृर्पचित जनजाति के कल्याण के लिये एक र्सार्मि होर्टा। सर्मिति के निन्नर्लिखित कार्य होंगे:-
(Ђ) संविधान के ग्रनुच्छेंद्न ३३ के खंड (२) के श्रंतर्गत अ्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनूरूचित जनजातियों के ग्रायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिदेननों पर जहां तक कि उनका संबंध मध्यवद्रदेग राज्य से हो, पर विचार करना यौर सभा को यह् प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राबीन विषयों के बारे में राज्य सरकार को क्या कार्यंचही करना चाहिये।
(ख) समिति दृारा प्रस्तावित जपावों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाह्दियों के संबंध में सभा को प्रतिवेदन देता।
(ग) श्रनुच्छेद ३३य के उपबंधों को ध्यान में रसते हुए राज्य सरकार के निगंत्रणाधीन सेवाग्रों ग्रौर पदों (जिसमें सरकारी क्षेत्र के उचनमों, संविहित तथा ग्रर्ध-र्यासकीय निकायों में नियुक्तियां सम्म्भिलित हैं) में श्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनस्सित जनजातियों को उँचँत प्रतिनिधित्र दिलाने कै लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना।
(घ) राज्य में ग्रनुरूनित जातियों तथा श्रनुर्सचित जनजातियों 1 के कल्याग संबंधी कार्यक्रमों के चलाये जाने के बारे में सभा को प्रतिवेदन देना।
(उ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के घ्रंतर्गतंत्राने वाली श्रनमूर्चित जातियों तथा श्रनूसुचित जनजातियों के कल्याण संबंबी समस्त मामलों पर सामान्य हूप से विचार करना व उन पर सभा में प्रतिवेदन देना।
(घ) ऐसे मामलों की जांच करना निन्हें समिति उपयुक्त समझे श्रयता जो सभा छरा अयवा श्रध्यक्ष ढारा उसे विरिष्ट रूप से सांपे जायें।

Extract fr m the Rules of Procedure and conduct of Busines in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha,

## $\begin{array}{lllll}\text { X X X } & \text { X }\end{array}$ <br> ( $m$ ) COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

234-A. Functions of the Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes--There shall be a Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The functions of the Committee shall be :-
(a) to consider the reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 338 (2) of the Constitution so far as they relate to the State of Madhya Pradesh and to report to the House as to the measures that should be taken by the State Government in respect of the matters within the purview of the State Government;
(b) to report on the action taken by the State Government on the measure proposed by the Committee;
(c) to examine the measures taken by the State Government to secure due representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts under the control of the State Government (including the appointments in the Public Sector undertakings, Statutory and Semi-Government Bodies) having regard to the provisions of article 335 ;
(d) to report to the House on the working of the welfare programmes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State;
(e) to consider generally and to report to the House on all matters concerning the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which fall within the purview of the State Government;
(f) to examine such other matters as may deem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

234-B. Constitution of the Committee-(1) The Committee shal consist not more than 15 members out of whom 10 members shall be of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who shall be elected by the House from among its members according to the principale of proportinal representation by means of the single transferable vote.

२३४－ख．सर्मिति का गठन－（१）समिति में $१ ४$ से श्रचिक सदस्य नहीं होंगे，जिनमें से $१ ०$ सदस्य अनुसूचित जाति तथा अ्रनुस्सूत जनजाति के होंगे，जो सभा द्वारा उराक सदस्यों में से ग्रनुदं नी प्रतिर्निधित्व के सिद्धांत के श्रनृमार एकल सं क्रणीय मत द्वारा निर्वाचित किय जायेंगे：

1）परन्तु कोई मंत्री स्समति का सदस्य निर्बाचित नहीं किया जायगा习्रोर यदि कोई सदस्य समिति के लिये निर्वाधित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी निर्युक्ति की तिथि से सर्मिति का सदस्य नहीं रहलगा।

L．（२）समिति का कार्यकाल २ वर्ष का होगा ग्रथवा जब तक कि दूसरी समिति का गठन न हो जाय，जो भी बाद में हो।

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee and if a member, after his election to the Committee, is appointed as a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment-
(2) The term of the Committee shall be of two years or until the other Committee is constituted, whichever is later.

